

राजस्थान विधान सभा

दशम् सत्र

कार्य-सूची

शुक्रवार, दिनांक 08 मार्च, 2013

बैठक का समय-प्रातः 11.00 बजे

1. प्रश्न

पृथक सूची में प्रविष्ट प्रश्न पूछे जायेंगे एवं उनके उत्तर दिये जायेंगे ।

2. सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि

(क) अधिसूचनार्यें

श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, वित्त विभाग की निम्नांकित अधिसूचनार्यें सदन की मेज पर रखेंगे :-

वित्त विभाग

- 1- अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2013-104 दिनांक 6.3..2013 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर नियम, 2006 में संशोधन किया गया है ;
- 2- अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2013-105 दिनांक 6.3..2013 जिसके द्वारा केन्द्रीय विक्रय कर (राजस्थान) नियम, 1957 में संशोधन किया गया है ;
- 3- अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2013-106 दिनांक 6.3..2013 जिसके द्वारा राजस्थान (होटलों और बासों में) विलासों पर कर नियम, 1997 में संशोधन किया गया है ;
- 4- अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2013-107 दिनांक 6.3..2013 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर नियम, 1999 में संशोधन किया गया है ;
- 5- अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2013-108 दिनांक 6.3..2013 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-I में संशोधन किया गया है ;
- 6- अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2013-109 दिनांक 6.3..2013 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-II में संशोधन किया गया है ;
- 7- अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2013-110 दिनांक 6.3..2013 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(84)वित्त/कर/2009-45 दिनांक 30.7.2009 में संशोधन किया गया है ;
- 8- अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2013-111 दिनांक 6.3..2013 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-IV में संशोधन किया गया है ;

जारी..2..

- 9- अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2013-112 दिनांक 6.3..2013 जिसके द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की अनुसूची-VI में संशोधन किया गया है ;
- 10- अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2013-113 दिनांक 6.3..2013 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(63)वित्त/कर/2005-80 दिनांक 11.8.2006 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है ;
- 11- अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2013-114 दिनांक 6.3..2013 जिसके द्वारा 2011 की जनगणना के अनुसार एक लाख से कम जनसंख्या वाले किसी शहर, नगर, गाँव में स्थित धर्मशाला, मैरिज गार्डन और सामुदायिक केन्द्रों में किसी होटल वाले द्वारा उपलब्ध करवाये गये विलासों पर संदेय कर के संदाय से तुरन्त प्रभाव से छूट प्रदान की गई है ;
- 12 अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2013-115 दिनांक 6.3..2013 जिसके द्वारा भूमि के विकास या उस पर निर्माण से संबंधित करार एवं पावर ऑफ एटोर्नी के दस्तावेजों पर सशर्त स्टाम्प शुल्क घटाया गया है ;
- 13- अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2013-116 दिनांक 6.3..2013 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(25)वित्त/कर/11-154 दिनांक 9.3.2011 को अतिष्ठित किया गया है ;
- 14- अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2013-117 दिनांक 6.3..2013 जिसके द्वारा राजस्थान वित्त अधिनियम, 2006 की धारा-53 के तहत सभी श्रेणी की भूमियों पर दिनांक 1.4.2013 से भूमि कर की छूट प्रदान की गई है ;
- 15- अधिसूचना संख्या: एफ.12(11)वित्त/कर/2013-118 दिनांक 6.3..2013 जिसके द्वारा राजस्थान वित्त अधिनियम, 2008 की धारा-16 के तहत कतिपय खनिजों के खनिज अधिकारों पर देय पर्यावरण एवं स्वास्थ्य उपकर की कर दरों में संशोधन किया गया है ;
- 16- अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)ट्रान्स/कर/एचक्यू/13 दिनांक 6.3..2013 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)ट्रान्स/कर/एचक्यू/09/पार्ट-II-2 दिनांक 9.3..2011 में संशोधन किया गया है ;
- 17- अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)ट्रान्स/कर/एचक्यू/13 दिनांक 6.3..2013 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा-3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत विशेष सड़क कर के संदाय से छूट दी गई है ;
- 18- अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)ट्रान्स/कर/एचक्यू/13 दिनांक 6.3..2013 जिसके द्वारा राजस्थान मोटरयान कराधान अधिनियम, 1951 की धारा-3 की उपधारा (1) के अन्तर्गत विशेष सड़क कर के संदाय से छूट दी गई है ;

- 19- अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)ट्रान्स/कर/एचक्यू/13 दिनांक 6.3..2013 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(257)परि/कर/एचक्यू/11/6-क्यू दिनांक 14.11.2011 में संशोधन किया गया है ; एवं
- 20- अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)ट्रान्स/कर/एचक्यू/13 दिनांक 6.3..2013 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/एचक्यू/95/11-के दिनांक 31.3.2006 में संशोधन किया गया है ।

(ख) वार्षिक प्रतिवेदन

(I) श्री शांती कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री , सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा- 25(4) के अन्तर्गत राजस्थान सूचना आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 सदन की मेज पर रखेंगे ।

(II) डॉ0 दयाराम परमार, उच्च शिक्षा राज्यमंत्री निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखेंगे :-

- 1- महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय; अजमेर अधिनियम, 2003 की धारा-43 के अन्तर्गत महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय; अजमेर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2011-2012 ; एवं
- 2- महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर अधिनियम, 2003 की धारा-43 के अन्तर्गत बीकानेर विश्वविद्यालय, बीकानेर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 एवं 2010-2011.

3. कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन
का उपस्थापन एवं उस पर विचार

डॉ0 रघु शर्मा, सरकारी मुख्य सचेतक कार्य सलाहकार समिति के 30वें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे ।

वे यह भी प्रस्ताव करेंगे कि -

"यह सदन कार्य सलाहकार समिति के 30वें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है ।"

4. याचिकाओं का उपस्थापन

I- श्री अनिल जैन, सदस्य, विधान सभा, उजाड़ नदी को छापी नदी से जोड़े जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगे ।

II- श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, सदस्य, विधान सभा, विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के चेचट कस्बे को तहसील बनाये जाने बाबत् एक याचिका का उपस्थापन करेंगी ।

5. वित्तीय कार्य

अनुपूरक अनुदान की मांगें (द्वितीय संकलन) वर्ष 2012-2013 पर मतदान एवं पारण

वर्ष 2012-2013 के लिये राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें(द्वितीय संकलन) मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर एक साथ मतदान हेतु प्रस्तुत की जायेंगी।

6. विधायी कार्य

विधेयक का पुरःस्थापन, विचार एवं पारण

राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2013

- (I) श्री अशोक गहलोत, प्रभारी मंत्री निम्नांकित विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करेंगे :-

राजस्थान विनियोग(संख्या-1)
विधेयक, 2013
(2013 का विधेयक संख्या-2)

"वित्तीय वर्ष 2012-2013 की सेवाओं के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय और विनियोजन को प्राधिकृत करने के लिये विधेयक ।"

- (II) प्रभारी मंत्री विधेयक को पुरःस्थापित भी करेंगे ।
(III) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को विचारार्थ लिया जाय ।
(IV) प्रभारी मंत्री यह भी प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक को पारित किया जाय ।

7. आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2013-2014

प्रथम अवस्था

सामान्य वाद-विवाद

राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2013-2014 पर अग्रोत्तर सामान्य वाद-विवाद होगा ।

(विभिन्न दलों के सचेतकों/नेताओं द्वारा दी जाने वाली सूची के अनुसार बोलने की अनुमति दी जायेगी)

पी.के.शास्त्री
विशिष्ठ सचिव

विधान सभा भवन,
जयपुर ।

दिनांक : 07 मार्च, 2013